राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(23)ग्रावि/नरेगा/प्रशासनिक व्यय/2010 जयपुर, दिनांकः 6/7/2015

वीसी कार्यवाही विवरण दिनांक 29.06.2015

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक की सीमा में किए जा रहे प्रशासनिक व्यय वाले जिलों के साथ दिनांक 29.06.2015 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में अपरान्ह् 3.00 बजे वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) का आयोजन किया गया। वी.सी. में राज्य स्तर से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थिति हुए :–

1. श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
2. श्री रोहित कुमार, आयुक्त, ईजीएस।
3. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस।
4. श्री आर.एस. मक्कड़, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
5. श्री देवराज, वित्तीय सलाहकार, ईजीएस
6. श्री सी.एल. वर्मा, परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास।
7. श्री हीरालाल, लेखाधिकारी, ईजीएस।
8. श्री नवरंग लाल सिंगडोदिया, लेखाधिकारी ईजीएस।

दिनांक 29.06.2015 को आयोजित वी.सी. का मुख्य विषय भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 6 प्रतिशत की अनुमत व्यय सीमा में ही प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित करना था। 6 प्रतिशत की अनुमत सीमा में से 1 प्रतिशत राशि राज्य मुख्यालय पर रखते हुए शेष 5 प्रतिशत की सीमा में ही जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित किया जाना हैं। इसकी तुलना में अनेक जिलों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक व्यय किया जा रहा है। जिला अलवर (45%), झुन्झुनूं (33%), जयपुर (28%), सवाई माधोपुर (25%), करोली, दौसा एवं सीकर (21%) तथा धौलपुर एवं श्रीगंगनगर (20%) में प्रशासनिक व्यय की स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक है। वी.सी. में चर्चानुसार प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वी.सी. में दिए गए निर्देश	कार्यवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी
1.	**आयुक्त, ईजीएस द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक व्यय में बढोतरी का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जिलो के द्वारा अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार श्रम नियोजन नहीं किया जा रहा है।** यदि श्रम बजट के अनुसार कार्य होता है तो श्रम एवं सामग्री के अनुपात में प्रशासनिक व्यय में जिलों को स्वतः ही पर्याप्त राशि उपलब्ध हो जाती है। अनेक जिलों में मानव दिवस बढाए जाने की काफी संभावनाएं है, लेकिन जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा आवश्यक मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से वास्तव में काम की मांग करने वाले श्रमिकों को काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि **कनिष्ठ तकनीकी सहायक के वेतन/मानदेय को सामग्री मद में वहन किए जाने की स्थिति में भी प्रशासनिक व्यय में कमी लाई जा सकती है,** लेकिन अनेक जिलों द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।	जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।

	अतः सभी जिले इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।	
2.	जिलेवार समीक्षा करने पर प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–	
i.	**जिला अलवर–** जिले में 512 ग्राम पंचायते, 415 कनिष्ठ लिपिक, 303 ग्राम सेवक, 123 ग्राम रोजगार सहायक बताए गए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार 118 ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अनुमोदित श्रम बजट की तुलना में बहुत ही कम श्रम नियोजन कराया गया हैं। अतः कार्य के प्रति लापरवाही की वजह से आवश्यक नोटिस दिए जाकर इन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिले को इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। 206 कनिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित किए जाने के लिए राज्य स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किए गए है। जिले में आवश्यकता से अधिक स्टाफ की स्थिति को देखते हुए उक्त 206 कनिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र लगाए जाने के प्रस्ताव का परीक्षण कर पंचायती राज विभाग के माध्यम से उचित निर्णय लिया जाना है।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
ii.	**जिला झुन्झुनूं–** जिले में 301 ग्राम पंचायत, 182 ग्राम सेवक, 327 कनिष्ठ लिपिक, 23 ग्राम रोजगार सहायक बताए गए है। 23 ग्राम रोगार सहायकों द्वारा श्रम बजट की तुलना में बहुत ही कम कार्य कराया गया हैं। अतः कार्य के प्रति लापरवाही की वजह से आवश्यक नोटिस दिए जाकर इन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है। 116 कनिष्ठ लिपिकों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाऐंगे। जिले में आवश्यकता से अधिक स्टाफ की स्थिति को देखते हुए अन्यत्र लगाए जाने के प्रस्ताव का परीक्षण कर पंचायती राज विभाग के माध्यम से उचित निर्णय लिया जाना है।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुन्झुनूं तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
iii.	**जिला जयपुर–** जिले में 532 ग्राम पंचायते, 440 ग्राम सेवक, 356 कनिष्ठ लिपिक तथा 191 ग्राम रोजगार सहायक बताए गए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक स्टाफ को देखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों को कर्तव्य की प्रति लापरवाही की स्थिति में नियमानुसार नोटिस जारी कर हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अनुमोदित लेबर बजट की मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत वार कर लेबर बजट के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
iv.	**जिला सीकर–** जिले में 343 ग्राम पंचायते, 218 ग्राम सेवक, 302 कनिष्ठ लिपिक तथा 30 ग्राम रोजगार सहायक बताए गए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक स्टाफ को देखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों को कर्तव्य की प्रति लापरवाही की स्थिति में हटाए जाने तथा कनिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र लगाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।

	मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि कई स्थानों पर ग्राम सेवक के पद रिक्त है तथा इनका चार्ज कनिष्ठ लिपिक को दिया गया है। यदि इन कनिष्ठ लिपिकों का वेतन ग्राम सेवक पद के विरूद्ध पंचायती राज मद से आहरित किया जाता है तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय को सीमित किया जा सकता है। प्रमुख शासन सचिव महोदय ने उक्त प्रस्ताव का पंचायती राज विभाग से पत्रावली पर परीक्षण कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	
v.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर द्वारा बताया गया कि कनिष्ठ लिपिकों का दो वर्षीय परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने वाली हैं। अतः इन्हें नियमित वेतन श्रृखला दिया जाना प्रस्तावित है। अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) पंचायती राज द्वारा बताया गया कि चूंकि कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं होने तक किसी भी कनिष्ठ लिपिक को स्थाई नहीं किया जाए। वित्तीय सलाहकार, ईजीएस द्वारा बताया गया कि इस संबंध में समुचित निर्णय एवं मार्गदर्शन हेतु पत्रावली विधि विभाग को प्रेषित की गई है।	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।
vi.	**जिला श्रीगंगानगर–** जिले में 336 ग्राम पंचायते, 258 ग्राम सेवक, 291 कनिष्ठ लिपिक एवं 63 ग्राम रोजगार सहायक बताए गए है। जिले के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक स्टाफ को देखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों को कर्तव्य की प्रति लापरवाही की स्थिति में हटाए जाने का आश्वासन दिया गया।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
vii.	**जिला दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा, भतरपुर, पाली, बांरा, बून्दी, चित्तौडगढ़, सवाई माधोपुर, करोली, सिरोही एवं टोंक–** के जिला अधिकारियों को भी श्रम दिवसों की नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए गए एवं संविदा पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा श्रम नियोजन एवं कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराए। यदि नियमित आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों एवं अन्य कार्मिक भी आवश्यकता से अधिक है तो उनके संबंध में समुचित प्रस्ताव भिजवाए जाए। चर्चा के दौरान यह भी ध्यान में आया कि कई जिलों में कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के लिए कार्मिकों के विरूद्ध नोटिस तो जारी किए गए है, लेकिन उन पर निर्णय कर कार्मिक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर आयुक्त, ईजीएस ने सभी जिलों को जिन कार्मिकों के विरूद्ध नोटिस जारी किए गए हैं उनके संबंध में की गई अन्तिम कार्यवाही के बारे अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस।
viii.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली द्वारा बताया गया कि उनके यहां कई पंचायत समितियों में दो–दो सहायक अभियंता लगे हुए है, जबकि कार्य की मांग को देखते हुए एक ही सहायक	जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।

	अभियंता पर्याप्त है। इस पर सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि एक ही अभियंता प्रति पंचायत समिति पर्याप्त है तो दुसरे सहायक अभियंता के अन्यत्र स्थानान्तरण के प्रस्ताव भिजवाए।	
ix.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर द्वारा बताया गया कि उनके यहां ग्राम पंचायतवार श्रम भुगतान की मॉनिटरिंग एवं डी कपलींग व्यवस्था के अन्तर्गत वर्क साइड से मस्टररोल आने पर इसकी एक फोटो प्रति एमआईएस शाखा को उपलब्ध कराई जा रही है तथा मूल मस्टररोल जेटीए को मूल्यांकन के लिए दी जा रही है। इस व्यवस्था से विलम्बित श्रम भुगतान में काफी कमी आई है। प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अन्य जिला अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अतिरिक्त पद सृजित किए गए है, लेकिन इन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों के अधीन विकास अधिकारियों द्वारा अधिक कुशलतापूर्व कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः इन जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद का चार्ज दिए जाने की आवश्यकता हैं। आयुक्त, ईजीएस द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जयपुर एवं बाडमेर में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पृथक से सृजित है। इस संबंध में पत्रावली पर समुचित निर्णय कराया जाना प्रस्तावित है।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस
4.	कई जिलों द्वारा बताया गया कि समन्वयकों के पदों पर कार्मिकों को लगाया हुआ है, लेकिन इन कार्मिकों के पास भी वर्तमान में कोई जिम्मेदारी एवं पर्याप्त कार्य नहीं है। इस पर शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि इन कार्मिकों के पास पर्याप्त कार्यभार नहीं है तथा कार्य के निर्वहन में प्रभावी नहीं है तो इन कार्मिकों को भी आवश्यक नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त एवं अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस
5.	**प्रमुख शासन सचिव द्वारा वी.सी. में बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए सर्व प्रथम आवश्यकता मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की है। किसी भी जिले में श्रमिक द्वारा कार्य की मांग किए जाने पर उसे शत प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।** यदि किसी जिले में किसी भी स्तर पर कर्तव्य के प्रति उदासीनता की जा रही है तो उस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ तुरन्त सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। यदि पर्याप्त प्रयासों के बावजूद भी जिला कार्यक्रम समन्वयक यह अनुभव करता है कि उनके यहां आवश्यक रोजगार उपलब्ध करवाने के पश्चात भी अधिक स्टाफ की स्थिति है तो आवश्यक प्रस्ताव तुरन्त तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करावें। प्रमुख शासन सचिव द्वारा विशेष रूप से बताया गया	जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।

	कि गॉवों में रोजगार उपलब्ध कराने की असीम संभावनाएं है। अतः प्रथमतः रोजगार बढ़ाए जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवश्यक नोटिस दिए जाए एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। श्रम मांग संबंधी सभी प्रयास किए जाने के उपरान्त भी प्रशासनिक व्यय निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो ही उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।	
6.	आयुक्त, ईजीएस द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.08.2015 तक प्रशासनिक व्यय को निर्धारित सीमा में किए जाने के समुचित प्रयास किए जाए। **आगामी समीक्षा दिनांक 31.08. 2015 के पश्चात की जाएगी।** तब तक सभी जिला अधिकारी पूरी गम्भीरता के साथ योजना के कियान्वयन का कार्य करेंगे।	जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।

वी.सी. सधन्यवाद समाप्त हुई।

(देवराज)
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, समस्त राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस।
10. श्री आर.एस. मक्कड़, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), पंचायती राज विभाग।
11. श्री देवराज, वित्तीय सलाहकार, ईजीएस
12. श्री सी.एल. वर्मा, परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास।
13. श्री हीरालाल, लेखाधिकारी, ईजीएस।
14. श्री नवरंग लाल सिंगडोदिया, लेखाधिकारी ईजीएस।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस